विचार
↓
चिंतन
↓
शोध सृजन

ISSN : 2455-4219

आलोचन दृष्टि

Aalochan Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal of Humanities

वर्ष-5 अंक-19 जुलाई-सितम्बर 2020

प्रधान-संपादक
डॉ० सुनील कुमार मानस

संपादक
डॉ० योगेश कुमार तिवारी

प्रबंध-संपादक
श्री सुधीर कुमार तिवारी

विषयानुक्रमणिका

1. भारत में औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक-विकास के संदर्भ में महात्मा की दूर-दृष्टि 01-0
प्रो. देवेन्द्र मोहन

2. व्यंग्य, मनोरंजन तथा पात्रानुकूल संवाद : 'रात बीतने तक' तथा अन्य ध्वनि नाटक 06-8
प्रो. एस. वी. एस. एस. नारायण राजू

3. महाकवि पद्माकर की लोकोन्मुखी काव्य-दृष्टि 9-15
डॉ. सच्चिदानन्द देव पाण्डेय

4. समकालीन कविता का वस्तु-विधान 16-2(
डॉ. रंजना पाण्डेय

5. भारत में समावेशी-शैक्षणिक-विकास : नीतियाँ एवं कार्यान्वयन 21-2(
सुधीर कुमार तिवारी एवं डॉ. सुहासिनी बाजपेयी

6. नज़ीर अकबराबादी की कविता में हिंदुस्तानी तहज़ीब 27-3(
डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार

7. पुष्टिमार्गीय भक्ति में अष्टयाम-सेवा-पद्धति 31-3(
शालिनी भट्ट

8. मानवीय संवेदनाओं के सजग प्रहरी : मुंशी प्रेमचंद 39-41
डॉ. विकास चन्द्र मिश्र

9. हिन्दी को समृद्ध बनाने में नागरी लिपि की भूमिका 42-49
डॉ. प्रज्ञा पाण्डेय

10. 'अभ्युदय' के वस्तु-विन्यास का समय और संदर्भ 50-53
कीर्ति त्रिपाठी

11. ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन और डॉ. आंबेडकर की दृष्टि 54-57
डॉ. शोभा कौर

12. कोविड-19 का प्रकोप और हिंदी कविता की भूमिका 58-62
डॉ. एम. अब्दुल रज़ाक

13. 'वापसी' कहानी : समय और संवेदना 63-66
आदित्य नाथ तिवारी

14. A Study on Awareness of Corona Virus (Among the people...) 67-83
Dr. Raghavendra Mishra & Amit Kumar Singh

ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन और डॉ. आंबेडकर की दृष्टि

डॉ. शोभा कौर*

भारत कितना समृद्ध था और कैसे वह आज एक कर्जदार देश के रूप में वर्तमान दुर्गति तक पंहुंचा, यह जाने की जिज्ञासा डॉ अम्बेडकर के अर्थशास्त्रीय अनुसन्धान कार्यों के पुनः अध्ययन की ओर प्रेरित करती है। डॉ अम्बेडकर भारत के उन यशस्वी अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, जिन्होंने अंग्रेजो के गढ़ में घुस कर उनके अन्यायी कार्यों को उजागर करने का जोखिमभरा कार्य किया। डॉ अंबेडकर एक राजनेता और समाज सुधारक ही नहीं एक विचारशील विद्वान् और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र अंबेडकर का सर्वाधिक प्रिय विषय था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय उनके पास कई विषय थे जिनका सीधा संबंध अर्थशास्त्र से था। वहां से उन्होंने 'इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' विषय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। आगे चलकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने प्रॉब्लम 'ऑफ रुपया इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन 'विषय पर डी.एस.सी. की डिग्री हेतु शोध प्रबंध लिखा। उस ग्रंथ की भूमिका महान अर्थशास्त्री एडविन केनन ने लिखी थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी विद्वता का अनुमान लगाने के लिए अमर्त्य सेन की टिप्पणी भी मददगार हो सकती है। 2007 में दिए गए एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉ आंबेडकर की गुरुता को स्वीकारते हुए हमारे समय के इस महान अर्थशास्त्री ने कहा था, 'अंबेडकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मेरे जनक हैं। वे दलितों शोषितों के सच्चे और जाने–माने महा नायक हैं। उन्हें आज तक जो भी मान सम्मान मिला है वह उससे कहीं ज्यादा के अधिकारी हैं।.... अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार है उसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा।'[1]

20 वीं सदी के आरम्भ में भारत का आर्थिक इतिहास तो लिखा जा रहा था, पर भारत पर शासन कर चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्थतंत्र को डॉ. आंबेडकर ने व्यवस्थित ढंग से पहली बार प्रस्तुत किया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की आंतरिक राजनीति की बात नहीं करते अपितु वह वित्त प्रबंधन के ढांचे पर विचार करते हैं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्थतंत्र का वर्णन करते हुए उनकी व्यवस्था, राजस्व का स्वरुप– भू–राजस्व, राजस्व का स्वरुप–कर, खर्च एवं राजस्व का प्रभाव, ऋण का स्वरुप और 1858 के अधिनियम के विषय में विस्तार से बताया है।

व्यवस्था के अंतर्गत वे बताते हैं कि चार प्रकार के कोर्ट थे– 1. स्वामी मंडल कोर्ट 2. निदेशक मंडल कोर्ट 3. समितियां 4. नियन्त्रण बोर्ड। स्वामी मंडल, निदेशक मंडल और समितियों के माध्यम से डॉ. आंबेडकर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे को प्रस्तुत किया है। जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिकार और मत का सर्वाधिकार धन के अनुपात के आधार पर तय किया जाता था। जैसे 500 पौंड स्टॉक का मालिक कोर्ट में स्थान ग्रहण करने के पात्र था। 1,000 पौंड स्टॉक का मालिक कोर्ट में एक मत डालने का पात्र था। 3,000 पौंड स्टॉक का मालिक कोर्ट में दो मत डालने का पात्र था। 6,000 पौंड स्टॉक का मालिक कोर्ट में तीन मत डालने का पात्र था। 10,000 से 1,00,000 तथा अधिक पौंड की राशि के स्टॉक का मालिक कोर्ट में चार मत डालने का पात्र था। मूलतः धन के आधार पर मताधिकार कोर्ट में प्राप्त था। इसके अतिरिक्त बहुत सी समितियां थीं–जैसे–गुप्त समिति, पत्राचार समिति, कोष समिति, सरकारी लश्कर तथा भण्डार समिति, वैधानिक

* असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।